



दिनांक 15.04.2021

प्रेस विज्ञप्ति 15/21

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद फिरोजाबाद/थाना शिकोहाबाद

- 03 अभियुक्त गिरफ्तार,
- लूट की घटना का अनावरण,
- लूटे गये रूपये 06 हजार 600 रूपये नगद,
- सोने के आभूषण आदि ,
- घटना में प्रयुक्त 01 मोबाइल फोन,
- घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन
- 02 अवैध तमंचा, 05 जीवित कारतूस बरामद।

दिनांक: 14.04.2021 को थाना शिकोहाबाद व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मैनपुरी रोड शिकोहाबाद सन्तजनु कालेज के पास से 03 अभियुक्तों 1-सन्दीप 2-राजू 3-इरशादउल्ला को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूटे गये रूपये 06 हजार 600 रूपये नगद, 01 सोने की अंगूठी, घटना में प्रयुक्त 01 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन, 02 अवैध तमंचा, 05 जीवित कारतूस बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना शिकोहाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

## गिरफ्तार अभियुक्त:-

- 1-सन्दीप निवासी खरपरी थाना कोतवाली जनपद मैनपुरी।
- 2-राजू निवासी गोपीनाथ अड्डा थाना कोतवाली जनपद मैनपुरी।
- 3-इरशाद उल्ला निवासी दरीबा आगरा रोड़ थाना कोतवाली, जनपद मैनपुरी।

बरामदगी:-

- 1-लूटे गये रूपये 06 हजार 600 रूपये नगद ।
- 2-01 सोने की अंगूठी ।
- 3- घटना में प्रयुक्त 01 मोबाइल फोन ।
- 4- घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन ।
- 5- 02 अवैध तमंचा, 05 जीवित कारतूस ।

जनपद शाहजहाँपुर/थाना तिलहर

- 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार,
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर, जीवित/खोखा कारतूस बरामद

दिनांक 14/15.04.2021 को थाना तिलहर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर समधाना जन्यूरी तिराहा मोड से पुरस्कार घोषित अभियुक्त अंकित को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद शाहजहाँपुर के विभिन्न थानो पर लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 05 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना खुदागंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 71/2021 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना तिलहर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-अंकित निवासी ग्राम जन्यूरी थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर।

बरामदगी:—

1-01 अवैध तमंचा 315 बोर, जीवित / खोखा कारतूस ।

जनपद शाहजहाँपुर / थाना मदनापुर

- मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार
- लगभग 01 करोड़ 25 लाख रुपये (अन्तराष्ट्रीय कीमत) के 01 किलो 568 ग्राम अवैध अफीम बरामद

दिनांक 14.04.2021 को थाना मदनापुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कटरा रोड रोसर कोठी के पास से अभियुक्त बलवीर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लगभग 01 करोड़ 25 लाख रुपये (अन्तराष्ट्रीय कीमत ) के 01 किलो 568 ग्राम अवैध अफीम बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना मदनापुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-बलवीर निवासी चन्दोखा थाना मदनापुर जनपद शाहजहाँपुर।

बरामदगी

1-लगभग 01 करोड़ 25 लाख रुपये (अन्तराष्ट्रीय कीमत ) के 01 किलो 568 ग्राम अवैध अफीम

जनपद संभल / थाना बहजोई

- अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अभियुक्त गिरफ्तार
  - 19 निर्मित / अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर,
  - 05 जीवित कारतूस विभिन्न बोर,
- अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद

दिनांक 15.04.2021 को थाना बहजोई पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर करीमपुर के जंगल खण्डहर से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अभियुक्त इब्राहिम

को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 19 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 05 जीवित कारतूस विभिन्न बोर, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना बहजोई पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्त

1-इब्राहिम निवासी रसूलपुर थाना हयातनगर जनपद संभल ।

### बरामदगी

1-19 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर,

2-05 जीवित कारतूस विभिन्न बोर।

3-अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

### जनपद अमेठी/थाना गौरीगंज

- 03 अभियुक्त गिरफ्तार,
- 06 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, जीवित/खोखा कारतूस,
- 01 चोरी की मोटर साइकिल बरामद।

दिनांक: 14.04.2021 की सायं थाना गौरीगंज व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम ओरीपुर मोड़ के पास से 03 अभियुक्तों 1-संदीप 2-लवकुश 3-मनीष कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 06 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, जीवित/खोखा कारतूस, 01 चोरी की मोटर साइकिल हुई।

इस सम्बन्ध में थाना गौरीगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तः—

- 1—संदीप निवासी ग्राम रामगढ़ी थाना जामों जनपद अमेठी।
- 2—लवकुश उर्फ जगन्नाथ निवासी ग्राम पवली थाना बल्दीसराय जनपद सुल्तानपुर।
- 3—मनीष कुमार निवासी ग्राम पूरे लाल साह रामगढ़ी थाना जामों जनपद अमेठी।

बरामदगीः—

- 1—06 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, जीवित/खोखा कारतूस,
- 2— चोरी की 01 मोटर साइकिल।

जनपद गोण्डा/थाना परसपुर

- 05 अभियुक्त गिरफ्तार
- 1385 पौव्वा अवैध शराब
- 900 लीटर स्प्रिट, 753 ढक्कन, 114 बार कोड
- 4600 रूपये नगद, 01 कार, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद

दिनांक 15.04.2021 को थाना परसपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पसका पुल के पास से चेकिंग के दौरान 05 अभियुक्तों 1—तरुण उर्फ मंगरू, 2—भानू, 3—राहुल, 4—रवि, 5—अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 1385 पौव्वा अवैध शराब, 900 लीटर स्प्रिट, 753 ढक्कन, 114 बार कोड, 4600 रूपये नगद, 01 कार, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना परसपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—तरुण उर्फ मंगरू निवासी सुख्खा पुरवा मौजा हरदीटाड थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
- 2—भानू निवासी पूरे जबर सिंह थाना सुबेहा जनपद बाराबंकी, हालपता चुंगी नाका के पास मोहल्ला मेवातियान थाना कोतवाली जनपद गोण्डा।

3—राहुल निवासी नरायनपुर मर्दन रिसाल पुरवा थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा।

4—रवि निवासी नरायनपुर मर्दन रिसाल पुरवा थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा।

5—अभियुक्ता निवासी नरायनपुर मर्दन रिसाल पुरवा थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा।

### बरामदगी

1—1385 पौव्वा अवैध शराब।

2—900 लीटर स्प्रिट।

3—753 ढक्कन।

4—114 बार कोड।

5—4600 रूपये नगद।

6—01 कार।

7—01 मोटर साइकिल आदि।

### जनपद एटा/थाना जलेसर

- अवैध शराब फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अभियुक्त गिरफ्तार
  - 1270 लीटर अवैध अल्कोहल
  - 94 क्वार्टर अवैध देशी शराब
- भारी मात्रा में रेपर, क्यु आर कोड, होलोग्राम, ढक्कन तथा खाली क्वार्टर आदि बरामद

दिनांक 15.04.2021 को थाना जलेसर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नारऊ वीरनगर के पास से चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों 1—नैना उर्फ टीटू, 2—प्रमोद को गिरफ्तार किया गया। अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 1270 लीटर अवैध अल्कोहल, 94 क्वार्टर अवैध देशी शराब, भारी मात्रा में रेपर, क्यु आर कोड, होलोग्राम, ढक्कन तथा खाली क्वार्टर आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना जलेसर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-नैना उर्फ टीटू निवासी नारऊ वीरनगर थाना जलेसर जनपद एटा।
- 2-प्रमोद निवासी नारऊ वीरनगर थाना जलेसर जनपद एटा।

### बरामदगी

- 1-1270 लीटर अवैध अल्कोहल।
- 2-94 क्वार्टर अवैध देशी शराब।
- 3-भारी मात्रा में रेपर, क्यु आर कोड, होलोग्राम, ढक्कन तथा खाली क्वार्टर आदि।

### जनपद सोनभद्र /थाना राबर्टसगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को 20 वर्ष कारावास की सजा व 20 हजार रू0 के अर्थदण्ड )

जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय ए०एस०जे०/स्पेशल जज/पॉक्सो जनपद सोनभद्र द्वारा थाना राँबर्टसगंज पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 376/506 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट में अभियुक्त मनीष कुमार को 20 वर्ष कारावास की सजा व 20 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

एसटीएफ: रणदीप भाटी गैंग के सक्रिय सदस्य/शूटर मनोज भाटी उर्फ मनोज नंगला के सगे भाई मुकेश उर्फ मुक्की द्वारा अपनी भाभी के पक्ष में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदाताओं को बांटने के लिए ले जा रहे हैं पैसे/अवैध शराब सहित मुकेश उर्फ मुक्की की गिरफ्तारी।

दिनांक 14-04-2021 को एसटीएफ, उ०प्र० को रणदीप भाटी गैंग के सक्रिय सदस्य/शूटर मनोज भाटी उर्फ मनोज नंगला के सगे भाई मुकेश उर्फ मुक्की द्वारा अपनी सगी भाभी सुन्दरी देवी के पक्ष में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए ले जाई जा रही अवैध शराब एवं पैसा सहित मुकेश उर्फ मुक्की को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:

मुकेश उर्फ मुक्की पुत्र फिरेराम निवासी ग्राम नंगला नैनसुख, थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।

### गिरफ्तार अभियुक्त से कुल बरामदगी:

- 1— 01 अदद तमंचा 315 बोर,
- 2— 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 3— 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर
- 4— 05 पेटी देशी शराब
- 5— रूपया 10 हजार नगद

### गिरफ्तारी का दिनांक/समय व स्थान—

दिनांक 14-04-2021 समय 17.10 बजे जनपद गौतमबुद्धनगर के थाना दादरी क्षेत्रान्तर्गत सिकन्द्राबाद, दनकौर रोड पर के पास।

एसटीएफ, उत्तर प्रदेश को विगत दिनों से विभिन्न जनपदों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान कराने के लिए अराजक तत्वों द्वारा अवैध शराब एवं पैसा वितरित करने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। जिनके विरुद्ध एसटीएफ की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में श्री राज कुमार मिश्रा अपर पुलिस अधीक्षक एसटीएफ गौतमबुद्धनगर के नेतृत्व में उप निरीक्षक



श्री अक्षय पी0के0 त्यागी, एस0टी0एफ0 फील्ड यूनिट गौतमबुद्धनगर द्वारा टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान जरिये मुखबिर सूचना मिली कि दिनांक 14-04-2021 को थाना दादरी के मु0अ0स0 205/21 धारा 307 भादवि में फरार चल रहा मुकेश उर्फ मुक्की, सिकन्दराबाद, दनकौर रोड पर आयेगा। इस सूचना पर विश्वास कर एसटीएफ नोएडा टीम द्वारा थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर पुलिस के सहयोग से त्वरित कार्यवाही करते हुए गन्तव्य स्थान पर पहुँचकर अभियुक्त मुकेश उर्फ मुक्की को समय 17.10 बजे गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त मुकेश उर्फ मुक्की ने पूछताछ पर बताया कि उसकी उम्र लगभग 32 वर्ष है। बताया कि उसके सगे भाई का नाम मनोज भाटी उर्फ मनोज नंगला है, जो रणदीप भाटी गैंग का सक्रिय सदस्य एवं शूटर है, जिस पर लगभग 40 से अधिक अपराधिक मुकदमें दर्ज हैं। उसका भाई मनोज भाटी उर्फ मनोज नंगला वर्तमान में जनपद गौतमबुद्धनगर की लुक्सर जेल में बन्द है। बताया कि उसके सगे भाई मनोज भाटी उर्फ मनोज नंगला की पत्नी व उसकी सगी भाभी श्रीमती सुन्दरी देवी, वार्ड नम्बर 04 से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रही है और चुनाव के समय थाना दादरी की पुलिस द्वारा दिनांक 11-04-2021 को दबिश दी गयी थी, जिसमें वह (मुकेश उर्फ मुक्की) पुलिस पार्टी पर फायर करके भाग गया था तथा उसका साथी सतेन्द्र, अवैध शराब के साथ पकड़ा गया था, इस सम्बन्ध में थाना दादरी पर मु0अ0स0 205/21 धारा 307 भादवि एवं मु0अ0स0 206/21 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम का अभियोग दर्ज है और इसी अभियोग में वह (मुकेश उर्फ मुक्की) वॉछित चल रहा था।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 14-04-2021 को जब मुकेश उर्फ मुक्की को पकड़ा गया था तो उसके पास से जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में अपनी सगी भाभी श्रीमती सुन्दरी देवी के पक्ष में वोट डलवाने हेतु मतदाताओं को बांटने के लिए रूपया एवं अवैध शराब बरामद किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त मुकेश उर्फ मुक्की के विरुद्ध निम्नलिखित अभियोगों का पंजीकृत होना ज्ञात हुआ है:—

| क्र० सं० | मु०अ०सं० | धारा                             | नाम थाना | जनपद         |
|----------|----------|----------------------------------|----------|--------------|
| 1        | 507 / 13 | 307 भादवि                        | दादरी    | गौतमबुद्धनगर |
| 2        | 943 / 18 | 147 / 148 / 149 / 307 / 34 भादवि | दादरी    | गौतमबुद्धनगर |
| 3        | 165 / 19 | 110 जी द०प्र०सं०                 | दादरी    | गौतमबुद्धनगर |
| 4        | 725 / 20 | 3 / 25 शस्त्र अधि०               | दादरी    | गौतमबुद्धनगर |
| 5        | 214 / 21 | 60 / 63 आबकारी अधि०              | दादरी    | गौतमबुद्धनगर |
| 6        | 215 / 21 | 25 / 27 आयुध अधि०                | दादरी    | गौतमबुद्धनगर |
| 7        | 205 / 21 | 307 भादवि                        | दादरी    | गौतमबुद्धनगर |
| 8        | 206 / 21 | 60 / 63 आबकारी अधि०              | दादरी    | गौतमबुद्धनगर |

गिरफ्तार उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर में मु०अ०सं०: 214 / 21 धारा 60 / 63 आबकारी अधिनियम एवं मु०अ०सं० 215 / 21 धारा 25 / 27 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

—————